निर्णय

दिनांक : 11.02.17

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा माल की टूस पटवार मण्डल माल की टूस तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 570, 571, 572 कुल किता–3 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लोगर जीवा केशीया पिता दौला 1/5 हि. ब. हिरालाल पिता परथा 1/5 हिरा देवा चतरा हेमा पिता मोती 1/5 हि.ब. हिरालाल मन्ना पिता परथा 1/5 पेमा पिता खेमा 1/5 गाडरी सा.देह के नाम पर अंकित है । उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार श्री लोगर पिता दोला गाडरी लाऔलाद फौत हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2 है । इसी तरह खातेदार देवा पिता मोती का निधन हो गया है जिसके वारिश प्रतिवादी संख्या 4 से 7 है । खातेदार मन्ना पिता परथा का लाऔलाद निंवसीयती निधन हो गया है जिसका वारिश वादी है एवम खातेदार पेमा पिता खेमा का निधन हो गया है जिसके वारिश प्रतिवादी संख्या–10 है ।

2. निवेदन है कि उक्त आराजियात मौके पर एक चक के रूप में होकर उक्त भूमि में वादी का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–3 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–8 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–9 का 1/20 हिस्सा एवम प्रतिवादी संख्या–10 का 1/5 हिस्सा है । उक्त वाद वर्णित आराजियात पर उक्त हिस्सेदार मौके पर हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है ।

3. वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के बीच कानूनी रूप से विभाजन नही होने के कारण वादी को ऋण लेने, लगान जमा कराने तथा राजकीय सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है । इसी कारण वादी को वाद विभाजन का पेश करना पड़ा है ।

4. वाद कारण दिनांक 11.05.16 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगणों को विधिक रूप से विभाजन कराने को कहा तो उन्होनें कहा कि कानूनी कार्यवाही कराओं तब से ही वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

5. अतः निवेदन है कि बहक वादी तथा प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी फरमायी जावे कि वाद वर्णित आराजियात का वादी एवम प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मध्य हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन कराया जाकर वादी का खाता प्रथक रूप से कायम किया जाकर नक्शा ट्रेस में पैमूद किया जावे ।

6. वादी द्वारा वाद के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवम दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73, नक्शा ट्रेस पेश किया गया है ।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 10 नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ है तथा प्रतिवादी संख्या–11 राजकीय औपचारिक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा ।

8. साक्ष्य वादी के अन्तर्गत वादी द्वारा साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है ।

9. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को समायत किया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा माल की टूस पटवार मण्डल माल की टूस तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 570, 571, 572 कुल किता–3 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लोगर जीवा केशीया पिता दौला 1/5 हि.ब. हिरालाल पिता परथा 1/5 हिरा देवा चतरा हेमा पिता मोती 1/5 हि.ब. हिरालाल मन्ना पिता परथा 1/5 पेमा पिता खेमा 1/5 गाडरी सा.देह के नाम पर अंकित है । उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार श्री लोगर पिता दोला गाडरी लाऔलाद फौत हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2 है । इसी तरह खातेदार देवा पिता मोती का निधन हो गया है जिसके वारिश प्रतिवादी संख्या 4 से 7 है । खातेदार मन्ना पिता परथा का लाऔलाद निंवसीयती निधन हो गया है जिसका वारिश वादी है एवम खातेदार पेमा पिता खेमा का निधन हो गया है जिसके वारिश प्रतिवादी संख्या–10 है । प्रतिवादीगणों द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थिति नहीं दी गई है साथ ही कोई जबाब भी पेश नहीं किया गया है इससे स्पष्ट जाहीर आया है कि वादी का विभाजन का वाद स्वीकार कर लिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । वादी स्वयं खातेदार काश्तकार है ईसलिये उसे वाद वर्णित आराजियात